राज्य	जिला	बाल श्रमिक
उत्तर प्रदेश	बस्ती	48920
कुल (उत्तर प्रदेश)		256819
पश्चिम बंगाल	24 परगना	82165
पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	64319
पश्चिम बंगाल	वेस्ट दिजापुर	51741
पश्चिम बंगाल	मुर्शिदावाद	50974
पश्चिम बंगाल	वर्द्धमान	50646
कुल (पश्चिम बंगाल)		299845
कुल 100 जिले		7804918

गैर-आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर रोक

863. **श्री राघवजी:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में गैर-आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर कोई रोक लगाई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या देश के भिन्न-भिन्न राज्यों ने गैर-आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर राज्य-स्तरीय कोई रोक लगाई है; यदि हां, तो किन-किन राज्यों में तथा कब से ऐसी रोक लगाई गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

Formation of committees by Tobacco Board

864. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Tobacco Board is empowered to form various committees to cater to its different interests;

(b) whether there is any proposal to expand the role of the Tobacco Board through such committees; and

(c) what steps are proposed to expand the role of the Tobacco Board to assist farmers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The Board is empowered to appoint such committees as may be necessary for the efficient discharge of its duties and performance of its functions under section 7 of the Tobacco Board Act.

(b) No, Sir.

(c) Steps taken by the Tobacco Board to assist farmers include inter-alia;

(i) Planning and regulation of production of tobacco to match demand and supply;

(ii) implementing various developmental and extension schemes to improve the quality and yield of tobacco;

(iii) conducting auctions to ensure accurate weighment, classification and competitive prices;

(iv) negotiating with tobacco trade for fixation of Minimum Guaranteed Prices for Flue Cured Virginia Tobacco; and

(v) advising farmers through training programmes/meetings publicity to adopt improved varieties and package of practices recommended by the Central Tobacco Research Institute.

बाल-श्रमिकों के लिए विशेष योजना

865. **श्री सोम पाल:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल-श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है और उसे क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने विशेष रूप से इस समस्या के समाधान के लिए संसाधन जुटाने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ख) सरकार ने अगस्त, 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की थी। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत कार्य योजना इस प्रकार हैः— (i) एक विधायी कार्य योजना, (ii) जहां कहीं संभव हो, बालकों को लाभ प्रदान करने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर देना और (iii) मजदूरी/अर्थ मजदूरी नियोजन में लगे बाल श्रमिकों की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजनाएं।

वर्तमान में आठ राज्यों में अनुमानतः 16,000 बालकों को शामिल करके बारह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया एक मुख्य कार्यकलाप रोजगार से हटाये गये बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार आदि जैसी बुनियादी जरूरतें मुहैया करवाने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गतय कामकाजी बालकों के लिए कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को 75% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) और (घ) माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 1994 को घोषणा की थी कि जोखिमकारी व्यवसायों में लगे हुए 20 लाखों को अगले 4-5 वर्षों में कार्य से हटाया जाएगा और उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। इस घोषणा के अनुसरण में, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने "बाल श्रम की पहचान करने, उन्हें मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने" के संबंध में एक कार्य योजना अपनाई है। इस कार्य योजना को पहले ही सभी राज्य-सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया गया है। अनुमान है कि वर्ष 2000 तक जोखिमकारी व्यवसायों से 20 लाख बाल श्रम का उन्मूलन करने में 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्य से हटाए गए बालकों के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए 34.4 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने देश में बाल श्रम की अधिकतम प्रवृत्ति वाले 100 जिले भी पहचाने हैं। यह निर्णय लिया गया है कि जोखिमकारी नियोजनों में बाल श्रम के उन्मूलन संबंधी परियोजनाएं इन जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के अनुसार आरंभ की जायेंगी। नई दिल्ली में 13-14 सितम्बर, 1995 को इन 100 जिलाधीशों की एक कार्यशाला आयोजित की जायेगी। संबंधित जिलाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम आधार पर अपने-अपने जिलों के परियोजना प्रस्ताव तैयार करें।

गोदाम तथा भांडागार सुविधाओं के लिये धन और स्थान की कमी

866. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी खाद्यान्न भांडागारों के पास खाद्यान्नों की अधिक मात्रा में खरीद और उनके भंडारण के लिये क्रमशः धन और स्थान की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठा रही है; और

(ग) क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रही है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) खाद्यान्नों की वसूली के लिए निधियों की कोई कमी नहीं है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य वसूली एजेंसियां, वसूली प्रचालनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से "कैश-क्रेडिट" की सुविधाएं ले रही है।

केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का उच्च-स्तर होने और इससे अपेक्षाकृत कम उठान होने के कारण कुछ क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता की कमी है। तथापि, इस समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपाय लिए जा रहे हैः—

1) प्राइवेट पार्टियों से भण्डारण स्थान किराए पर लेना;

2) निर्माणाधीन गोदामों को पूरा करने के कार्य में तेजी लाना;

3) कैप (कवर और प्लिंथ) क्षमता में वृद्धि करना;